



12.03.2022:-पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत की बेंच संख्या 8 में प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने मुताबिक प्रार्थना-पत्र निस्तारित करने का निवेदन किया। कार्यालय तहसीलदार (भू0अ0) हनुमानगढ़ से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के मुताबिक उक्त प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसार उक्त संशोधन की अभिशंषा की गई है। उक्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रकरण का निस्तारण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रही है। निर्णय पृथक से लिखाया गया। पत्रावली उक्तानुसार निस्तारित की जाकर फ़ैसला शुमार की जाती है।


सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत


12/03/22
अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत

